न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर टोंक

प्रकरण संख्या 28/2020

कुलदीप शर्मा पुत्र श्री प्रेमचन्द शर्मा नि. दूनी टोंक राज.

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी जिला-टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 10-9-2020

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी को आवेदन पत्र दिनांक 3-7-2020 प्रेषित/प्रस्तुत निम्न सूचना चाही गई थी :-

1. दिनांक 23.05.2020 को दूनी से कुल कितने प्रवासियों को भेजा था।
2. कुल कितनी बसों में भेजा था।
3. सभी बसों के रजिस्ट्रेशन नम्बर।
4. यहां दूनी से कितनी बजे प्रस्थान किया था।
5. प्रत्येक बस के कितने आदमी थे।
6. ट्रेन कहां से गई थी ट्रेन का प्रस्थान का समय
7. ट्रेन में बैठने से पूर्व रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रवानगी से पूर्व कितने घण्टे, पूर्व पहुचना था। सम्पूर्ण रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि

अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी से अपील के संबंध मे जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी ने पत्र क्रमांक 661 दिनांक 9-9-2020 से जवाब प्रेषित किया जिसके अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है ओर पत्र क्रमांक 443 दिनांक 5-8-2020 से सूचित किया है कि " वॉछित सूचनाओं के प्रकरण में निहित व्यापक जनहित के सम्बन्ध में कोई अभिकथन प्रस्तुत नहीं किया है।" जबकि अधिनियमानुसार सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति सूचना प्राप्त करने के लिए जनहित/लोक हित में अभिकथन करने हेतु बाध्य नहीं है। अपीलान्ट को कार्यालय में उपलब्ध सूचना जो भी जिस स्थिति में उपलब्ध है

जिला कलेक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.09 11:00:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

उपलब्ध करवानी चाहिये थी, किन्तु लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी द्वारा अपीलान्ट को सूचना नियमानुसार निर्धारित समयावधि में प्रेषित नहीं की गई है। अतः अपीलन्ट द्वारा चाही गई सूचना तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय प्रति प्राप्ति के 20 दिवस में निशुल्क उपलब्ध करावें।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दूनी व अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर,टोंक

कार्यालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.09 11:00:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner